

कल सं० 1098

22

श०९ ज्योतीराजी

न्यायालय

उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)

गाजियाबाद।

वाद संख्या

19/05-06

अन्तर्गत धारा 161 उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम

ग्राम डून्डाहेड़ा

परगना

लोनी

तहसील

व

जिला गाजियाबाद

मै० सर्व सांझी कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०

बनाम

मै० इनोवेशन प्रमोटर्स प्रा.लि.

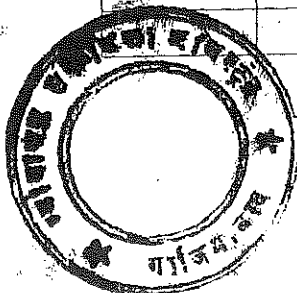
अल निर्णय दि० 7.6.06

उभयपक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-1, में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर खातेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-2 में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संक्रमणीय भूमिधर खातेदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उ०प्र० शासन की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम डून्डाहेड़ा परगना लोनी में स्थित नाले के पूर्वी तथा पश्चिमी पार्श्वों में आवासीय योजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जित की है। उ०प्र० शासन की उक्त नीति के सुनियोजित क्रियान्वन के लिए यह पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी को पट्टे पर या बंधक नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई भार है। वादी द्वारा उद्धरण खतौनी 1408 से 1413 फसली ग्राम डून्डाहेड़ा खाता संख्या 141, 1019, 1389 व 1460 दाखिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या दिनांक 06-07-2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्या में कहा गया है कि लेखपाल के पास उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्त से प्रश्नगत खसरा संख्याओं से इस भूमि की किस्म जमीन के अनुसार उनका परता रेट ज्ञात किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमियों का तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार किया गया। ग्राम डून्डाहेड़ा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रस्तावित है।

मै० सर्व सांझी कन्स्ट्रक्शन

वर्तमान खातासं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है०	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1460	1034/1	0.2660	सेवटा अ०	3.67	14.50	3.8570	
	1060	0.2530	सेवटा अ०	3.67	14.50	3.6685	
1389	1034/2	0.1786	सेवटा अ०	3.67	14.50	2.5897	
		0.6976				10.1152	



1. आवक का दिनांक 18.8.06
2. सर्वेक्षा की संख्या का दिनांक 19.8.06
3. नकल देने की दिनांक 19.9.06
4. लक्ष्य की दिनांक 6.5.06

ATTESTED

CRIMINAL AHALMAN
To S.D.M. GZR

जैन का
हस्ताक्षर का.....

ग्राम डून्डाहेड़ा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि मिलनी है, के खसराओं का विवरण :-

मै0 इनोवेशन प्रमोटर्स प्रा0 लि0

वर्तमान खातासं0	खसरा सं0	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है0	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
141	1043	0.5271	सेवटा दो0	2.72	10.74	5.6611	
	1045 / 2	0.0065	सेवटा दो0	2.72	10.74	0.0698	
	1262	0.1520	सेवटा अ0	3.67	14.50	2.204	
	1265	0.0990	सेवटा अ0	3.67	14.50	1.4355	
		2.7846				9.3704	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन	10.1152
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन	9.3700
अन्तर	0.7452
% मूल्यांकन	7.95%



उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों के संक्रमणीय भूमिधर हैं। इसलिये धारा 161 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है ”

वाद दर्ज कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहलमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्बरो के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उ0प्र0 सरकार को विद्वान नामिका वकील राजस्व के माध्यम से पैरवी करने हेतु समन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

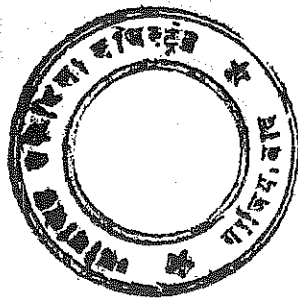
उभय पक्षों के अधिवतागणों व विद्वान नामिका वकील राजस्व के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। तहसील की जाँच आख्या दिनांक 06.07.2006 से स्पष्ट है कि ग्राम डून्डाहेड़ा की प्रश्नगत भूमि वादी/प्रतिवादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूंकि ज0वि0अधि0 की धारा 161 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तहसील की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार

(Handwritten signature)

पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि को विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मै० सर्व सांझी कन्सट्रक्शन्स प्रा० लि०, सी-47 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली की ग्राम डून्डाहेडा, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 1460 के खसरा संख्या 1034/1 रकबा 0.2660 है० व 1060 रकबा 0.2530 व खाता संख्या 1389 के खसरा संख्या 1034/2 रकबा 0.1786 को मै० इनोवेशन प्रमोटर्स प्रा. लि., 9, सैन्ट्रल एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली की ग्राम डून्डाहेडा स्थित भूमि खाता संख्या 141 के खसरा संख्या 1043 रकबा 0.5271 है०, 1045/2 रकबा 0.0065 है०, 1262 रकबा 0.1520 है० व खसरा संख्या 1265 रकबा 0.0990 है० की भूमि से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को इस आशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



(Signature)
01/01/16

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद।